## कार्यालय निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) अल्प कालीन निविदा आमंत्रण प्रपत्र (निविदादाताओं हेतु निर्देश, शर्ते एवं प्रतिबन्ध)

विज्ञप्ति	सं0
-----------	-----

दिनांक ...... मूल्य रू० - 500.00 + जील्प्स०टी०

उद्घोषणा/कार्य का नाम :

कार्यालय गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर प्रशिक्षण केन्द्र में फाल्स सिलिंग, दीवारो पर पी0वी0सी0 पेनालेन तथा फर्ज टाईल लगाने से संबंधित कार्य (सिविल कार्य)।

1. मानक प्रपत्र :

विभागीय website- www.sugarcane.uk.gov.in पर निविदा दाताओं के उपयोगार्थ कार्य से संबंधित सामान्य निविदा, शर्ते निविदा प्रपन्न व मात्राकृत दर सूची शर्तों के साथ भी प्रदर्शित की जा रही है।

2. अनुमानित लागत रू0:

3.94 लाख

(कन्टीनजेन्सी व G.S.T सहित)

2 अ. निविदा का प्रकार:

एकल प्रणाली

3. निविदा लागत (G.S.T सहित) रू0

: रू० 3.79 লাভ

1 निविद्यालको की धनराशि रू०

: 60 7600.00

4 A जमानतः

अनुबन्ध के पूर्व अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के (नियम 44 के अर्न्तगत) वाणिज्यिक बैंकों से निर्गत अदाता के नाम एकाउन्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट सावधि जमा रसीद या बैंक गांरटी आदि के रूप में अनिवार्यतः 5 प्रतिशत कार्यप्रित गारंटी एवं प्रतिपूर्ति निक्षेप हेतु 5 प्रतिशत को अलग अलग उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 5 प्रतिशत को Revairtion Money के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

5. कार्य पूरा करने का समय

दो भाह

6. क्षतिपूर्ति प्रतिभृति

उत्तरखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 44 खण्ड (ड॰) के अधीन (निर्माण कार्य में विलम्ब के लिये संविदा मूल्य का 0.50 प्रतिशत प्रति सप्ताह परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत वसूला जायेगा)

7. निविदा की वैधता

60 दिवस

...२ (चेन्), क्रो क्वा क्वा तथा तथा पूरा प्रा)

टक्टार की वैध पत्तीकृत खेला

्राम्यापित प्रतीयन प्रमाण प्रविधी छाणा प्रति महिलो

ा. इतिहास कार्य के साथ कुल सल्लाकों की ग्राखा

भिगियदा फार्म जारी करन वाल खोद्यकारी क हस्ताक्षर व मील

## समान्य नियम व शर्त

 निविदाओं का मुहरबन्द होना आवश्यक है अन्यथा किसी प्रकार की बुटि पाय जाने पर विमाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

पर प्रमाण कर कर र प्रतास्थावस्य गुंख करणाः। 2. निविदा खोलते समय सम्बन्धित ठेकंदार अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता की अनुपरिथित में निविदायं खोलने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

्रितिता मोहरबन्द लिफाफे में संरक्षित कर प्रस्तुत की जाऐगी। निविदादाता द्वारा लिफाफे हिन्दिता मोहरबन्द लिफाफे में संरक्षित कर प्रस्तुत की जाऐगी। निविदादाता द्वारा लिफाफे हिन्दिताला केंद्रित निवेद्यक, गन्ता किसान क्षार्थ । जिल्लाहरू के निवास होना एवं विद्यार संख्या और कार्य का नाम उल्लेखित होना ब्राहिये।

साउना जार नगर कर जान उरहाज्य साजार । 4. कार्य के किसी भी आईटम की मात्राये घट/बढ़ सकती हैं जिसकी दर के सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। यदि किसी आइटम की यूनिट में निस्तिद्रिंट अथवा स्पेशिफिकेशन में अन्तर स्पष्ट होता है तो केन्द्रीय लोवनिविमाग की शैंड्यूल की यूनिट व अद्यतन विस्तृत स्पेशिफिकेशन मान्य होगी।

5. कार्य निर्धारित समय के अन्दर, समय सारणी के अनुसार पूर्ण करना होगा, अन्यथा ठेका रद्द कर तत्समय जमा जमानत की धनराशि (2 प्रतिशतः अनेस्ट ननी को सम्मिलित कर) निक्षेपित/जब्द कर ली जायेगी। ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि की माँग में दिये गये तर्कों को कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की सहमति व शासन के तत्समय के नियमों के तहत ही समय पृद्धि दो जायेगी। इस विषय पर अनुबन्ध कर्ता अधिकारी का निर्णय, ठेकेदार को स्वीकार होगा।

6. समस्त कार्य तथा उसका प्रत्येक आइटम विभागीय नियम निर्देश व स्पेसीकिकेशन के आधार पर सम्पन्न करना होगा। कार्य पूर्ण होने के 2 4 माह बाद तब कार्य में पाठी जाने वाली त्रुटि के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरादायी होगें। 24 माह के बाद की अविध में किमयों को ठीक कराने का शपथ-पत्र देने पर ही Retaintion money ठेकेदार को वापस की जायेगी।

7. कार्य के अनुबन्ध के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अवींट्रेटर के रूप में निर्देशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

 यदि ठेकेदार के ऊपर विमाग की कोई घनराशि वाजिब रह जाती है तो उसकी वसूली कानूनी तौर पर राजस्व विमाग के माध्यम से की जायेगी। 9. कार्य की अन्तिम भाष अंकित किये जाने तक समस्ट मैटीरियल की देख-रेख व कार्य की स्टैविलिटी आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

10. एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार संयुक्त निदेशक, गन्ना

किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

11. तकनीकी निविदा के साथ 100 / रू० मूल्य का नान ज्यूडीशियल नोटरीकृत शप्थ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमे निम्न बिन्दुओं का समावेश इस प्रकार आपेक्षित है कि:-

- (1) पूर्व मे उसकी पंजीकृत/फर्म को सम्पूर्ण राज्य उत्तराखण्ड व अन्य प्रदेश मे किसी भी अधिप्राप्ति कर्ता संस्था द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।
- (2) निविदा दाता फर्म / ठेकेदार का निविदा कमेटी के किसी सदस्य से कोई सम्बन्ध नही है, कार्य प्रस्ताव अथवा सम्पादन के लिए नियामक की ओर से नियुक्त पदाधिकारी से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- (3) निविदा प्रपत्रों के साथ चाहे गये सभी प्रपत्र वैघ रूप में प्रस्तृत किये गये है किसी तथ्य के असत्य, भ्रामक या असंवैधानिक पाये जाने पर निविदा निरस्त करने अथवा निविदा प्रतिभृति जब्त करने का अधिकार संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड मे निहित होगा।
- (4) शपथ पत्र में उद्घाटित तथ्य सत्य और साक्ष्यों के आधार पर सही है।

12. पावर आफ अटार्नी मान्य नही होगी।

13. निर्माण कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना व जानमाल के क्षति के लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा।

14. स्वप्रमाणित जी०एस०टी० प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15. सामग्री की मात्राओं के अनुसार सैम्पिल टेस्टिंग राज्य की प्रयोगशालाओं में करागा जायेगा जिसमें आने वाला व्यय ठेकेदार के बिलो से वसूला जायेगा। यदि ठेकेदार जानबूझ कर किसी सामग्री की क्वालिटी में विवाद पैदा करता है तो उसकी जॉच की फीस भी ठेकेदार कि को ही वसूली जायेगी।

16. कार्य ब्यू के दौरी रानग भुगतान अनुबन्ध का 10 द्रारात से नीचे को दराराशि का नहीं किया जायेगा। माप पुस्तिका बनन के एक माह के अंदर

भुगतान होगा। इस बीच की अवधि में ठेकेदार कार्य बंद नहीं करेगा।

17. उत्तराखण्ड राज्य / केन्द्र सरकार की कार्यदायी संस्थाओं मे पंजीकृत टेकेदारों को ही निविदा बेची जायेगी।

18. पात्रता के मानको को पूर्ण करने के उद्देश्य से राजकीय विभाग से निर्गत सम्बन्धित कार्य हेतु वैध पंजीकरण की स्वसत्यापित प्रति लगानी होगी।

19. ठेकेदार को यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि कार्यालय, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर के परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में आपके द्वारा कार्य कराये जाने के दौरान

कोई कभी न होने पाये। 20. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 48 (क) अनुसार न्यूनतम निविदा लागत में विभाग द्वारो तैयार किये गये अनुबन्ध पर ठेकेदार को हस्ताक्षर करने होगे। (अनुबन्ध प्रपत्र को कार्यालय मे देखा जा सकता है)

21. शासनादेश सं0 6447/III(2)/11-20(सा0)/11 दिनांक 2 जनवरी २०१३ के अनुसार दी जा रही निविदा लागत विभागीय निविदा लागत से 5 प्रतिशत से भी कम होने पर परफारनेन्स सिक्योरिटी डिपोजिट करनी

22. बिलो से नियमानुसार जी०एस०टी०,लेबर सेस, आयकर की कटौती की जायेगी। खनिज मेटीरियल में रायल्टी जमा करने का प्रमाण भी विभाग मे उपलब्द कराना होगा।

23. डाउनलोड निविदा प्रपत्र के मूल्य को निविदा पेटी में निविदा डालने से एक दिन पूर्व की तिथि, के बैंक ड्राफ्ट ( संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर के पदनाम का बना हुआ) से अथवा विभाग में नगद जमा उपरान्त रसीद कटवाकर अदा करना होगा।

24. निविदा धरोहर निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत धन (टी०डी०आर०/एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर के पदनाम का बना हुआ) के बिना कोई मी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। मापदण्डों को पूरा करने वाले निविदा दाताओं की निविदा स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को निविदा लागत का 10 (2 प्रतिशत प्रतिभूति सिहत) प्रतिशत जमानत/कार्यपूर्ति प्रतिभूति/धरोहर की धनराशि एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० वाणिन्यिक बैंक से निर्गत अदाता के नाम एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद या बैंक गांरटी के रूप में संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर के पदनाम से निगत हो (जिसमें से 5 प्रतिशत की धनराशि Deffect liability अविध तक के लिए वैध हो) प्रस्तुत करनी होगी तभी कायदिश दिया जायेगा।

25. निविदा स्वीकार किए ज़ाने के बाद 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

	मै हम	पुत्र	श्री		निवासी			का हू/।	5
मैने हमने उपरोक्त	कार्य से संबंधित निविदा सूचना	दिनांक	····	को पढ़ी	तथा कार्य	स्थल, की	पूर्ण जानक	ारी प्राप्त व	5र
ली है। कार्यस्थल	की समस्त परिस्थितियों, विभार्ग	यि नियम	व शर्तो की दृ	ष्टिगत रखते	हुए मै/ह	रम अपनी	निविदा प्रस	तुत कर र	हा
है / कर रहे है तथा	उपरोक्त कार्य को संलग्न बिल	आफ क्व	न्टिटी की दरों	से			•••••		
	(अंकों व शब्दों में) प्रतिशत कम								
	,			••					
	जमा की गयी अर्नेस्ट मन	ो का वि	वेवरण निम्न	प्रकार है-					
	रूपये		······						
	रसीद सं0		दिनांक						
	<sup>*</sup> रू डाफ्ट ∕एफ०डी०आ	₹0 ₹10		•••			,		
W. 1	S.		_		¥77.	•	ह० ठेवे	दार	
	***************************************								
	(	कार्याल	ाय कार्य के	लिये)					
						\ \ \	A .	88-	4~
आज	दि0मे	निविव	त कमेटी	द्वारा वि	नेविदा	खाली	गया।	निविद	।य
स्वीकृत/अस्वी									
							0 0		
	`		निवि	वेदा स्वीकृ	त करने	वाले अ	धिकारी व	हें हस्ता	भर
	निविदा कमेटी, के प्रस्त	व पर रि	नेदेशक, गन्ना	किसान संस	थान एवं !	प्रशिक्षण व	नेन्द्र काशी	रु के द्व	रा
नेनेना ने अन	ानावदा कमटा, पर श्ररण बन्ध गठित करने की स्वी	कृति वि	रनांक	i	में प्रदान	की गर्य	Ť į		
०कटार य अर्	9 1100								

## BILL OF QUANTITY

Name of Work :- कार्यालय गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर प्रशिक्षण कक्ष में फाल्स सिलिंग, दोवारो पर पीठवीठसीठ पेनलिंग तथा फर्श टाईल लगाने से संबंधित कार्य (सिविल कार्य)।

S.	Description of item	Qty.	Unit	Rate in	Amount in
n				rupees with index and 18% G.S.T	rupees
Α	Civil work				
1.	Providing and laying vitrified floor tiles in different sizes (thickness to be specified by the manufacturer) with water absorption less than 0.08% and conforming to IS: 15622, of approved make, in all colours and shades, laid on 20mm thick cement mortar 1.4 (1 cement: 4 coarse sand), jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/ sqm including grouting the joints with white cement and matching pigments etc., complete. Size of Tile 600x600 mm	72.36,	N1 <sup>2</sup>	1670.30	120848.43 >
2.	Providing and fixing in position PVC panelling of 10 mm thick, in approved colour, the panels shall have profiled interlocking system locked in place with pins(gitty) all complete as per direction of the engineer in – charge. ( area of portion out side beeding or rebates to	78.84	M <sup>2</sup>	1590.00	125355.60
3.	be measured).  Providing and fixing false ceiling at all heights with integral densified calcium silicate reinforced with fibre and natural filler false ceiling tiles of Size 595x595 mm of approved texture, design and patterns having NRC (Noise Reduction coefficient) of 0.50 (minimum) as per	60.00	M <sup>2</sup>	2194.05	131643.00
	IS 8225:1987, Light reflectance of 85% (mir m). Non combustible per BS:476 (part-4), fire performance as mir mir part 6 & 7), umidity resistance of 1000 thermal conductivity < 0.043 W/m K as			<b>\( \gamma_{\text{u}} \) = \( \frac{1}{2} \)</b>	7
	per ASTM 518:1991, in which was a result level suspended on interlocking metal powder coated T-Grid of hot dipped galvanised iron section of 0.40 mm thick on Silhouette profile, rotary stiched double webbed white with 6mm reveal profile (white/black), comprising of main-T runners of size 15x42mm of length 3000 mm, cross - T of size 15x42 mm of length 1200 mm and secondary intermediate crossT of size 15x42 mm of length 600mm to form grid module of size 600 x 600 mm, suspended from ceiling using galvanised mild steel items (galvanizing @ 80 grams per sqm)				
	i.e. 50 mm long, 8 mm outer diameter M-6 dash rasteriers, 6 mm dia fully threaded hanger. Unit Rate No. 428 SUB HEAD: 26.0 NEW TECHNOLOGIES AND MATERIALS rod upto 1000 mm length and L-shape level adjuster of size 85x25x2 mm. Galvanised iron perimeter wall angle of size 22x19x0.40 mm of length 3000 mm to be fixed on periphery wall / partition with the help of plastic rawl plugs at 450 mm center to center and 40mm long dry wall S.S screws. The work				
	shall be carried out as per specifications, drawing and as per directions of the Engineer-in-Charge. With 15 mm thick integral densified micro edge light weight calcium silicate false ceiling tiles				0
4.	Providing and fixing aluminium extruded section body tubular type universal hydraulic door closer (having brand logo with ISi, IS: 3564, embossed on the body, door weight upto 36 kg to 80 kg and door width from 701 mm to 1000 mm), with double speed adjustment with necessary accessories and screws etc. complete.	1.00	each	947.83	(947.83), 947.8
	Total				378794.86
	Say				3/9000.00

1 - Jely

Coly

Oh

ा 🕮 स्टाम अहमे विभानुसार लगा करनी होगी।

ों े ः रह लगा व शक्ते में भरी जायेगी। निविदा प्रपत्र में कोई भी मोंगी गयी सूकता खाली नहीं रखी जाएगी।

्री हुई मा एओं का स्वीकृत निविदा दर पर भुगतान किया जायेगा।

्रांदे 'देत आप जगादिती से इतर आइटमी पर कार्य ठेकेदारी से कराया जाता है तो वर्तमान भेड्यूल आफ रेटस पर इनका भूगतान सक्षम पाधिकारी की रवीकृति उपरान्त किया जायेगा।

रोएटर दालने से पूर्व हैकेदार प्रस्तावित कार्य का ते आउट, ड्राईम व कार्य स्थल का निरीक्षण भली प्रकार कर लेवे।

अनिक विल बनाने की कार्यवाही गुणवत्ता की संतोषजनक रिपोर्ट आने के पश्चात की जायेगी।

रादि पर्यरहार्च कारणों से निविदा प्रपत्र / खोलने के दिवस को राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस को कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। यदि किसी निविदा दाता को निविदा वेच ही जाती है तो इसका यह अर्थ नही लगाया ला सकेगा कि वह निविदा देने हेत् पात्र है।

कार्य में प्रमुक्त होने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था निविदा दाता को स्वयं करनी होगी तथा स्थल पर सामग्री की

नियिदा प्रथम विज्ञापन में उल्लिखित वांछित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेंदारों को ही, नूल पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने पर विकय किये जायेगे।

10 निविदा में भरे भये तथ्यों के सम्बन्ध में प्रमाणित पत्रों की छाया प्रतियाँ लगानी अनिवार्य है।

ा कार्य स्थल पर घटित किसी भी प्राकृतिक तथा मानवीय आपदा के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, समस्त जिम्मेदारी संबंधित डेकेदार की होगी। कार्य के लिए Deffect liability period दो वर्ष होगा। जक्त बिल ऑफ क्वान्टिटी की स्पेतिफिकेशन अस्पष्ट होने की दशा में C.P.W.D Circle Delhi की स्पेतिफिकेशन अन्तिम रूप से मान्य होगी।

12 बिल आफ क्वान्टिटी में उल्लिखित आइटम के पूर्ण होने पर ही उस आईटम को अन्तिम बिल में सम्मिलित किया जायेगा। 13 कार्य से संबंधित मजदूरों की कार्य स्थल में कार्य के समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिये विभाग उत्तरदायी

14. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर

उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। 15. विभाग की बिजली उपयोग करने पर वाजिब बिल की कटौती बिल से की जायेगी।

16. अधूरे आइटम के आधार पर उस मक्त्रें कोई भगतान नहीं किया जायेगा।

17 कार्यादेश घन की उपलब्धता एवं व कियानकता के आधार पर दिया जायेगा।

सशतं निविदा मान्य नही होगी। 19 प्रस्तावित कार्य की स्पेशिफिकेशन अनुसार स्थल पर कार्य, कनिष्ठ अभियन्ता की देख-रेख में किया जायेगा।

टेकेदार द्वारा कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने, गुणवत्ता-युक्त कार्य न पाये जाने, समयवृद्धि मॉगने की दशा में जी०पी०डब्लू०-९ की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

21. सभी प्रकार के टैक्स की कटौती बिल भुगतान के समय लागू नियमों के अनुसार होगी।

कार्य का भुगतान मापन के आधार पर किया जायेगा।

यदि किसी स्पेसिफिकेशन में अस्पष्टता प्रतीत होती है तो C.P.W.D की Standard bidding document मान्य होगी। "प्रस्तावित कार्य को निर्धारित समय अर्न्तगत पूर्ण कराते हुए विभिन्न वस्तुओं/कार्यो/घटकों का रंगीन

फोटो (जो कि अद्याविधक किए गए कार्य की प्रगति दर्शाता हो) कार्यालय में जमा करने के साथ किए गए कार्य का बिल भी

प्रस्तुत करना होगा।"

मुख्यालय काशीपुर

120

भिन्न किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर

विल ऑफ क्वान्टिटी में दी गई दर व शर्ते एवं टेण्डर शर्तों को मैने भली भाँति पढ़ लिया है। इन्हीं के आधार पर निविदा प्रपत्र में अपनी निविदादर भरकर इसे निविदा फार्म के साथ संलग्न कर वन्द लिफाफे के अन्दर रखते हुवे निविदा पेटी में डाल रहा